लाल देवी एवं अन्य

बनाम

वनिता जैन एवं अन्य

मई 14, 2007

(बी. पी. सिंह और हरजीत सिंह बेदी जे.जे.)

विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963/ सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 एवं आदेश 9 नियम 7 विशिष्ट पालना का वाद- अचल संपत्ति का विक्रय इकरार- अग्रिम धनराशि का भुगतान- विक्रेता द्वारा विक्रय इकरार का निष्पादन नहीं किये जाना।

वाद- विचारण न्यायालय ने प्रतिवादी के विरूद्ध एकपक्षीय डिक्री पारित की हालांकि आदेश सुनाये जाने से पहले प्रतिवादी के अधिवक्ता द्वारा आदेश के पुनर्विलोकन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया था लेकिन उसे पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज कर दिया गया था-

उच्च न्यायालय द्वारा अपील में पुष्टि की गई -अभिनिर्धारित इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रतिवादी के अधिवक्ता ने उनसे अपेक्षित यह न्यूनतम शिष्टाचार भी नहीं दिखाया कि अधीनस्थ न्यायालय को अपने उच्च न्यायालय में व्यस्त होने की सूचना देकर उनसे अपेक्षित न्यूनतम शिष्टाचार भी नहीं दिखाया- हालांकि प्रतिवादी के अधिवक्ता ने आदेश के पुनर्विलोकन के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया और कहा कि मामले में एकतरफा कार्यवाही नहीं की जा सकती है, लेकिन उसे पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज कर दिया गया था - इस विषय पर निर्धारित विधि को

देखते हुए अधीनस्थ न्यायालय आदेश 9 नियम 7 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत इस आवेदन पर विचार नहीं कर सकती थी। लेकिन इस तरह के मामले में एकपक्षीय डिक्री पारित करने के आदेश की पुष्टि बहुत कठोर निष्कर्ष होगा - प्रतिवादी को एकपक्षीय डिक्री का सामना करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, विशेष रूप से तब जब वह गलती पर नहीं था और अधिवक्ता को अदालत के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया था - अतः अधीनस्थ न्यायालय को वाद विधि अनुसार जारी रखने का निर्देश दिया जाता है।

वादी और प्रतिवादी मृत्यु पूर्व से ही अच्छे दोस्त थे। प्रतिवादी के पास शिमला में एक संपत्ति थी। जिसे वह 26 मार्च, 1982 को प्रतिवादी को 4,20,000/- रुपये की राशि पर बेचने के लिए सहमत हो गया। वादी द्वारा प्रतिवादी को अग्रिम राशि के रूप में 40,000/- रुपये की राशि का भुगतान किया जाना बताया गया था। हालांकि प्रतिवादी ने विक्रय अभिलेख निष्पादित नहीं किया था। इसलिए विक्रय इकरार की विशिष्ट पालना का वाद वादी द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

विचारण न्यायालय के समक्ष साक्ष्य अभिलिखित की गई और एकपक्षीय तर्क सुने जाकर निर्णय भी लिखा दिया गया। तब प्रतिवादी के अधिवक्ता ने एक प्रार्थना पत्र लिखवाए गए निर्णय के पुनर्विलोकन हेतु प्रस्तुत किया। चूंकि आवेदन सुनवाई पूर्ण होने और मामले को निर्णय सुनाने के लिए दोपहर के भोजन सत्र के बाद के लिए स्थगित कर देने के

कारण प्रार्थना पत्र को पोषणीय नहीं होना माना गया। अर्जुन सिंह बनाम महेन्द्र कुमार एवं अन्य ए.आई.आर. (1964) सी. 993 में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित विधि के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थना-पत्र को पोषणीय नहीं होना माना गया। इसके अलावा जब प्रकरण सुनवाई हेतु प्रस्तुत हुआ, जब प्रतिवादी अथवा उसके अधिवक्ता की उपस्थिति के लिए कोई पर्याप्त आधार नहीं बताया गया था। वाद डिक्री किया गया। पीडित प्रतिवादी ने अपील दायर की जिसे उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया। इसलिए वर्तमान अपील, अपीलार्थी- विक्रेता ने तर्क दिया कि तथ्यों व परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जिला न्यायाधीश/विचारण न्यायालय द्वारा मामले में एकपक्षीय कार्यवाही किये जाना उचित नहीं था, विशेष रूप से जब प्रकरण में अधिवक्ता प्रतिवादी का आदेश का पुनर्विलोकन करने का प्रार्थना पत्र तुरन्त बाद उनके सामने पेश हुआ और आदेश का पुनर्विलोकन करने का अनुरोध किया गया। पुनर्विलोकन का अनुरोध निर्णय सुनाये जाने से पूर्व किया गया था लेकिन अधीनस्थ न्यायलय ने उसी दिन एकतरफा आदेश पारित कर दिया।

प्रत्यर्थी ने तर्क दिया कि प्रतिवादी व उसके अधिवक्ता की अनुपस्थिति में और उनके ओर से किसी भी अनुरोध के अभाव में विचारण न्यायालय के पास एकपक्षीय कार्यवाही कर आगे बढने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और एकपक्षीय डिक्री को अपास्त करने से उन्हे अनुचित लाभ मिल सकता है और वे प्रत्यर्थीगण के प्रमाणिक वाद को विफल करने

के लिए सभी प्रकार की आपत्ति उठा सकते हैं।

अपील स्वीकार की गयी - न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि -

1.1 इसमें कोई संदेह नहीं है कि जब मामला सुनवाई हेतु जिला न्यायालय/विचारण न्यायालय में प्रस्तुत हुआ था, पक्षकारों के अधिवक्ता को न्यायालय में उपस्थित होना चाहिए था। यदि किसी अप्रत्याशित या किसी अपरिहार्य कारण से प्रतिवादी या उसके अधिवक्ता का न्यायालय में प्रस्तुत होना संभव नहीं था, तो शिष्टाचार की मांग थी कि किसी अन्य अधिवक्ता द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रतिनिधित्व किया जाना चाहिए था ताकि न्यायालय को सूचित किया जा सके कि नियुक्त अधिवक्ता उच्च न्यायालय में व्यस्त है।

यदि ऐसा अनुरोध किया जाता तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी के अधिवक्ता को समायोजित किया जाकर अवसर दिया जाता। अधीनस्थ न्यायालयों के लिए उन अधिवक्तागण को समायोजित किया जाना असामान्य नहीं है। जिनकी ओर से उच्च न्यायालय के समक्ष व्यस्त रहने के कारण उनकी अनुपस्थिति के कारण एक अभ्यावेदन किया जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रतिवादी के अधिवक्ता ने उनसे अपेक्षित न्यूनतम शिष्टाचार भी नहीं दिखाया। {पैरा 13} {567-एफ, जी, एच; 568-ए}

1.2 प्रकरण की समस्त परिस्थितियों को देखते हुए इस न्यायालय के मत में अपील को स्वीकार किया जाना न्यायहित में है। विचारण न्यायालय ने साक्ष्य अभिलिखित कर,तर्क सुनकर उसी दिन भोजन अवकाश के पश्चात

निर्णय सुनाने के लिए प्रकरण को रख दिया गया। यदि न्यायालय एकपक्षीय आदेश पारित करने के बाद प्रकरण को अगले दिन के लिए स्थगित कर देता तो प्रतिवादी प्रकरण की कार्यवाही में भाग लेने की प्रार्थना कर सकता था। इस प्रकरण में चूंकि सभी कार्यवाही उसी दिन हो गयी तो प्रतिवादी को कार्यवाही में भाग लेने की प्रार्थना का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। {पैरा 15} {568-सी, डी}

2.1 यह सही है कि इस न्यायालय द्वारा अर्जुन सिंह बनाम महेन्द्र कुमार एवं अन्य वाले मामले में अभिनिर्धारित विधि को देखते हुए अधीनस्थ न्यायालय आदेश 9 नियम 7 सिविल प्रक्रिया संहिता के आवेदन पर विचार नहीं कर सकती थी। इस न्यायालय को ये मत व्यक्त करने में भी कोई संकोच नहीं है कि प्रतिवादी के अधिवक्ता उच्च न्यायालय में अपनी व्यस्तता जिसके कारण वे विचारण न्यायालय के बुलाने पर उपस्थित नहीं हो सके, के बारे में विचारण न्यायालय को सूचित करने में पर्याप्त सावधान नहीं थे। लेकिन इस तरह के मामले में एकपक्षीय आदेश की पुष्टि किया जाना बहुत कठोर निष्कर्ष होगा। प्रतिवादी को एकपक्षीय डिक्री का सामना करने के लिए उस स्थिति में बाध्य नहीं किया जा सकता खासकर तब जब वह गलती पर नहीं था और अपने अधिवक्ता को जिला न्यायाधीश के न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए उसने अधिवक्ता को निर्देशित कर दिया था। जिला न्यायाधीश द्वारा आदेश 9 व नियम 7 सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रार्थना पत्र पर विचार नहीं किया जा सकता था

और यहां तक कि आदेश 9 व नियम 13 का प्रार्थना पत्र भी जोर नहीं दिये जाने के कारण खारिज कर दिया गया। लेकिन किसी ने भी उच्च न्यायालय को अपील में एकपक्षीय डिक्री के अपास्त करने से नहीं रोका था। {पैरा 15 एवं 16} {568-ई, एफ, जी; 569-ए}

2.2 विचारण न्यायालय को वाद में विधिनुसार कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया गया। {पैरा 19} {569-ए}

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः सिविल अपील संख्या 2494/2007

शिमला के हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के 1998 के आर.एफ.ए. नंबर 133 में अंतिम निर्णय व आदेश दिनांक 29.08.2005/22.09.2005 से

अपीलार्थियों की ओर से एम.एन.राव, रजनी हरिलाल, सीमा जैन और हिमिन्दर लाल

प्रत्यर्थीगण की ओर से के.के. वेणुगोपाल और राजीव दत्ता, ई.सी अग्रवाल, आनंद शर्मा, महेश अग्रवाल, ऋषि अग्रवाल, गौरव गोयल, वरूण माथुर, नेहा अग्रवाल, अमित कुमार शर्मा, जॉय अब्राहम, सी.के. सासी।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया-

बी.पी. सिंह जे.

1. विशेष अनुमति दी गयी।

2. यह अपील हिमाचल प्रदश उच्च न्यायालय के निर्णय व आदेश दिनांक 29 अगस्त, 2005 और 22 सितम्बर, 2005 के 1998 आर.एफ.ए. नंबर 133 के विरूद्ध निर्देशित की गयी है। आक्षेपित आदेश के द्वारा उच्च न्यायालय ने प्रतिवादीगण द्वारा दायर की गयी अपील को खारिज कर दिया तथा विचारण न्यायालय द्वारा जारी की गई विशिष्ट पालना की एकपक्षीय

निर्णय व डिक्री दिनांक 7 जनवरी, 1998 को पुष्ट कर दिया।

3. जिस आदेश को हम पारित करने का प्रस्ताव कर रहे हैं, उसके मद्देनजर हमारे लिए मामले के तथ्यों और मुकदमों से जुडे मुद्दों पर विस्तार में विचार करना आवश्यक नहीं है। क्योंकि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि विचारण न्यायालय द्वारा एकपक्षीय डिक्री जारी करना मामलों की तथ्यों व परिस्थिति में उचित नहीं था। इसलिए हम मामले के तथ्यों पर केवल वहीं तक गौर करेंगे जहां तक वो प्रासंगिक है।

4. यह विवादित नहीं है कि स्वर्गीय पी.एस. मुल्तानी (प्रतिवादी) और स्वर्गीय जवाहर लाल जैन (वादी) अच्छे दोस्त थे। स्वर्गीय पी.एस. मुल्तानी के स्वामित्व की शिमला में एक संपत्ति थी जिसे ब्रोम्बले एस्टेट कहा जाता था। जिसमें करीब 20 बीघा जमीन शमिल थी और एक मकान और एक बाग था। (जिसे'' '')

5. वादी स्वर्गीय जवाहर लाल जैन का मामला यह था कि उसे संपत्ति बेचने का समझौता स्वर्गीय पी.एस. मुल्तानी द्वारा 26 मार्च 1982 को 4,20,000/- रुपये की राशि में अदा किया गया था। 40,000/- रुपये अग्रिम राशि के रूप में अदा किये गये, किन्तु उसके अथक प्रयासों के बावजूद स्वर्गीय पी.एस. मुल्तानी द्वारा विक्रय इकरार निष्पादित नहीं किया गया। विक्रय इकरार की विशिष्ट पालना का वाद शिमला उच्च न्यायालय के समक्ष 26 मार्च, 1985 के समक्ष पेश किया गया। वादी की ओर से दस गवाह परीक्षित कराये गये। साक्षी पी.डब्ल्यू. 08, एच.सी.दबे की जिरह अधूरी रही, जो 27 अगस्त, 1993 तक के लिए स्थगित की गयी। बाद में

मामले को दस्तावेज व अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए स्थगित कर दिया गया। मामला न्यायालय के समक्ष कई पेशियों पर सूचीबद्ध हुआ। अन्ततः मामला 17 मई, 1995 को अदालत में पहुंचा। उस पेशी पर पक्षकारन की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। ऐसा प्रतीत होता है कि 1995 में किसी समय जिला न्यायाधीश की अदालत के आर्थिक क्षेत्राधिकार में वृद्धि को देखते हुए मामला जिला न्यायाधीश शिमला के न्यायालय में निस्तारित करने हेतु अन्तरित कर दिया गया। मामले के अभिलेख से यह जाहिर होता है कि मामला विचारण न्यायालय के समक्ष कई पेशियों पर सूचीबद्ध हुआ और अन्ततः 7 जनवरी, 1998 को आया। उस दिन वादी के गवाह व वादी अधिवक्ता उपस्थित थे, लेकिन प्रतिवादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। साक्षी पी.डब्ल्यू. 08 जिससे आंशिक रूप से जिरह हो चुकी वह न्यायालय के समक्ष उपस्थित था। किन्तु उससे बकाया जिरह हेतु कोई उपस्थित नहीं था। गवाह राजेन्द्र सिंह सेठी की साक्षी पी.डब्ल्यू. 10 के रूप में लेखबद्ध की गयी। उस दिन पारित विचारण न्यायालय का आदेश विस्तार से नीचे उद्धृत किया गया है -

7.1.1998; उपस्थित; वादी अधिवक्ता श्री दीपक गुप्ता।

गवाह पी.डब्ल्यू. 08 एस.सी.दबे और गवाह श्री राजेन्द्र सिंह सेठी प्रतिवादी की ओर से कोई नहीं, इसलिए एकपक्षीय कार्यवाही की गयी।

पी.डब्ल्यू. 08 श्री एस.सी.दबे से बकाया जिरह हेतु कोई उपस्थित नहीं। श्री राजेन्द्र सिंह सेठी पी.डब्ल्यू. 10 के बयान लेखबद्ध किये गये। बहस सुनी गयी। मध्याह्न पश्चात निर्णय हेतु पेश हो।

{जिला न्यायाधीश, शिमला}

7.1.1998; (मामले को फैसले के लिए दोबारा पेश किया गया)

साक्ष्य लेखबद्ध होने, एकपक्षीय बहस सुनने और पी.ए. को निर्णय लिखाये जाने के बाद प्रतिवादी के अधिवक्ता श्री आर.एल.सूद द्वारा एक प्रार्थना पत्र निर्णय सुनाये जाने के आदेश का पुनर्विलोकन करने की प्रार्थना करते हुए प्रस्तुत किया गया। चूंकि उक्त प्रार्थना पत्र सुनवायी पूरी होने व मामले को मध्याह्न पश्चात निर्णय सुनाये जाने के लिए स्थगित किये जाने के बाद प्रस्तुत किया गया, जो माननीय उच्च न्यायालय के "अर्जुन सिंह बनाम महेन्द्र कुमार एवं अन्य," ए.आई.आर. (1964) एस.सी. (993) में निर्धारित कानून की रोशनी में पोषणीय नहीं है। इसके अलावा जब मुकदमा सुनवाई हेतु प्रस्तुत हुआ, उस समय प्रार्थना पत्र में प्रतिवादी और उसके अधिवक्ता की अनुपस्थिति का कोई संतोषप्रद कारण भी प्रार्थना पत्र में वर्णित नहीं किया गया है।

पत्रावली पर रखे गये अलग-अलग निर्णयानुसार मुकदमें का फैसला सुनाया जाता है तदनुसार औपचारिक डिक्री पर्चा तैयार की जाये। पत्रावली पूर्ण रूप से तैयार की जाकर अभिलेखागार में भिजवायी जाये।

6. उपरोक्त आदेश से ऐसा प्रतीत होता है कि विद्वान जिला न्यायाधीश ने एकतरफा कार्यवाही करने का निर्णय इसलिए लिया, क्योंकि न तो प्रतिवादी और न ही उसका अधिवक्ता वादी द्वारा परीक्षित करवाये गये गवाह से जिरह करने को उपस्थित थे। पी.डब्ल्यू. 08 से बकाया जिरह बन्द करने व पी.डब्ल्यू. 10 के बयान लेखबद्ध करने न्यायालय ने वादी के

अधिवक्ता द्वारा दिये गये तर्कों को सुना, बहस सुनने के बाद न्यायालय ने मामले को मध्याह्न पश्चात निर्णय सुनाने के लिए रख दिया।

उपरोक्त आदेश से ऐसा भी प्रतीत होता है कि विद्वान जिला न्यायाधीश ने अपने निजी सहायक को निर्णय लिखा दिया था किन्तु निर्णय सुनाये जाने से पूर्व प्रतिवादी के अधिवक्ता ने निर्णय सुनाये जाने के आदेश के पुनर्विलोकन की प्रार्थना कर दी। एक प्रार्थना पत्र धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता का एकपक्षीय कार्यवाही को अपास्त किये जाने का प्रस्तुत किया गया। उस प्रार्थना पत्र का निस्तारण भी पोषणीय नहीं होने के उसी आदेश द्वारा किया गया। अदालत ने आगे कहा कि जब मामला पेश हुआ तो प्रतिवादी व उसके अधिवक्ता की अनुपस्थिति का कोई पर्याप्त आधार नहीं बताया गया था। विद्वान जिला न्यायाधीश ने विशिष्ट अनुपालना के दावे को डिक्री कर अपना निर्णय सुनाया।

7. ये विवादित नहीं है कि 9 जनवरी, 1998 को आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत एक आवेदन दिनांक 7 जनवरी, 1998 को एकपक्षीय डिक्री को निरस्त करने के लिए प्रस्तुत किया गया था। हालांकि उक्त आवेदन को उन तथ्यों के आधार पर जोर नहीं दिया गया था कि एक अपील 7 जनवरी, 1998 की एकपक्षीय डिक्री के विरूद्ध उच्च न्यायालय में दायर की गई है।

8. उच्च न्यायालय की अपील के लम्बित रहने के दौरान वादी जवाहर लाल व प्रतिवादी पी.एस. मुल्तानी दोनों की मृत्यु हो गयी अपील को जारी रखने के लिए वादी और प्रतिवादी के विधि प्रतिनिधियों को

अभिलेख पर लाया गया। मृतक प्रतिवादी के विधिक प्रतिनिधि इस न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी है जबकि वादी के विधिक प्रतिनिधि यहां प्रत्यर्थी है।

9. एकपक्षीय डिक्री को निरस्त करने के लिए प्रस्तुत आवेदन से ऐसा प्रतीत होता है कि उस दिन यानि 07.01.1998 को प्रतिवादी द्वारा नियुक्त दोनों अधिवक्ता उच्च न्यायालय में व्यस्त थे और कुछ गलतफहमी के कारण की दूसरा न्यायालय में उपस्थित हो गया होगा दोनों में से कोई भी लगभग सुबह 11.30 बजे जब विद्वान जिला न्यायाधीश ने मामला पेशी में लिया, तो दोनों में से कोई भी उपस्थित नहीं था। उनकी अनुपस्थिति के कारण विद्वान जिला न्यायाधीश ने एकपक्षीय कार्यवाही करने का निर्णय लिया। जब प्रतिवादी के अधिवक्ता को सूचित किया गया कि मामले को विद्वान जिला न्यायाधीश द्वारा सुनवाई के लिए बुलाया गया है तो वे उच्च न्यायालय से जिला न्यायाधीश के समक्ष उपस्थित होने के लिए दौडे, लेकिन जब तक वह 12.05 ए.एम. बजे जिला न्यायाधीश के न्यायालय में पहुंचे, उन्हे पता चला कि अदालत ने साक्ष्य लेखबद्ध कर ली थी और मामले में बहस भी सुन ली थी और मामले को फैसला सुनाने के लिए मध्याह्न पश्चात रख लिया था। इन परिस्थितियों में धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें प्रार्थना की गई कि आदेश को वापस लिया जाए और गवाहों की साक्ष्य दोबारा लेखबद्ध किये जाये।

10. इसलिए इसे अपीलार्थीगण की ओर से हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया है। मामले के तथ्यों व परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विद्वान जिला न्यायाधीश के लिए मामले को एकपक्षीय रूप से आगे बढाना उचित नहीं था, खासकर जब प्रतिवादी के अधिवक्ता उसके तुरन्त बाद उनके सामने पेश हुए और आदेश को वापस लेने का अनुरोध किया। यह अनुरोध फैसला सुनाये जाने से पहले किया गया था हालांकि विद्वान जिला न्यायाधीश ने उसी दिन एकपक्षीय डिक्री पारित कर दी।

11. वादी/प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थीगण की एकपक्षीय डिक्री को निरस्त करने के लिए प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के जबाव से ऐसा प्रतीत होता है कि मामले को सुबह 10.30 बजे सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया। चूंकि कोई भी उपस्थित नहीं था, तब पुनः 11.30 ए.एम. बजे उसे फिर से पेशी में लिया गया। चूंकि प्रतिवादी की ओर से प्रतिवादी व उसके अधिवक्ता कोई भी उपस्थित नहीं थे तो न्यायालय द्वारा एकपक्षीय और तदनुसार कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया, तर्कों को सुनने के बाद निर्णय के लिए बाद में दिन में सुनाये जाने हेतु रख लिया। वादी की ओर से तर्क दिया गया कि पक्षकार के अधिवक्ता द्वारा किसी कनिष्ठ अधिवक्ता को विद्वान जिला न्यायाधीश के न्यायालय में उनके उच्च न्यायालय में व्यस्त होने के समय देने हेतु निवेदन हेतु भेजा जा सकता था। न्यूनतम शिष्टाचार जिसकी अपेक्षा उनसे की गई थी वो भी प्रतिवादी के अधिवक्ता द्वारा नहीं दर्शाया गया। इसलिए उनके किसी निवेदन के अभाव में न्यायालय के पास

एकपक्षीय कार्यवाही कर आगे बढाने के लिए कोई विकल्प नहीं था।

12. पक्षकारन के विद्वान अधिवक्तागण ने हमें विस्तार से सम्बोधित किया है और अपने तर्को के समर्थन में कई न्यायिक दृष्टांतों का अवलम्बन लिया है। हम इस बात से सन्तुष्ट हैं मामले की तथ्यों परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस अपील को स्वीकार किया जाना और एकपक्षीय डिक्री को निरस्त किया जाना न्यायोचित है।

13. इसमें कोई संदेह नहीं है कि जब मुकदमा विद्वान जिला न्यायाधीश के न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुआ था, तो पक्षकारन के अधिवक्तागण को न्यायालय में उपस्थित होना चाहिए था। यदि किसी अप्रत्याशित या अपरिहार्य कारण से प्रतिवादी व उसके अधिवक्ता के लिए न्यायालय में उपस्थित होना संभव नहीं था, तो न्यूनतम शिष्टाचार की मांग थी कि अन्य किसी अधिवक्ता द्वारा न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र दिया जाना चाहिए था ताकि न्यायालय को सूचित किया जा सके कि उक्त मामले में नियुक्त अधिवक्ता उच्च न्यायालय में व्यस्त है। यदि ऐसा अनुरोध किया जाता, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि विद्वान जिला न्यायाधीश ने प्रतिवादी के अधिवक्ता को मौका दिया होता। अधीनस्थ न्यायालयों के लिए उन अधिवक्तागण को मौका दिया जाना असमान्य नहीं है जिनकी ओर से उच्च न्यायालय के समक्ष व्यस्त रहने के कारण न्यायालय में अनुपस्थित रहने की प्रार्थना की जाती है। हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रतिवादी के अधिवक्ता ने उनसे अपेक्षित न्यूनतम शिष्टाचार दिखाने में भी

लापरवाही की। हमारे समक्ष अपीलार्थीगण की ओर से तर्क दिया गया था कि प्रतिवादी द्वारा नियुक्त दो अधिवक्तागण ने इस गलतफहमी के कारण कि दूसरा न्यायालय में उपस्थित हो जायेगा। उनमें से किसी को भी उनकी ओर से प्रतिनिधित्व के लिए जिला न्यायाधीश के समक्ष भेजने का प्रयास नहीं किया।

14. हालांकि यह भी उतना ही सच है कि जैसे ही न्यायालय ने बहस सुनी और दिन में फैसला सुनाने के लिए सुरक्षित रखा, प्रतिवादी के अधिवक्ता उनके समक्ष पेश हुए और एक आवेदन प्रस्तुत किया और प्रार्थना की कि आदेश वापस लिया जाए व मामले पर एकपक्षीय कार्यवाही नहीं की जाए। हालांकि जिला न्यायाधीश ने प्रार्थना स्वीकार करने से इंकार कर दिया और आवेदन को स्वीकार योग्य नहीं माना। उसके बाद उन्होंने निर्णय सुनाया और विशिष्ट अनुपालना का वाद उसी दिन डिक्री कर दिया।

15. सम्पूर्ण परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमारे विचार में न्यायहित में इस अपील को अनुमति दी जानी चाहिए। विद्वान जिला न्यायाधीश ने साक्ष्य लेखबद्ध की, तर्क सुनाने के लिए मामले को उसी दिन बाद के लिए रख दिया यदि न्यायालय ने एकपक्षीय कार्यवाही करने का निर्णय लेने के बाद कार्यवाही को किसी अन्य दिन के लिए स्थगित कर दिया होता, तो प्रतिवादी कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति के लिए आवेदन कर सकता था। इस मामले में चूंकि सब कुछ एक ही दिन हुआ इसलिए प्रतिवादी को ऐसा करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। विद्वान जिला

न्यायाधीश ने एकपक्षीय कार्यवाही करने का निर्णय लिया, उसके बाद न्यायालय में उपस्थित गवाहों के बयान लेखबद्ध किये व तर्क सुनने के लिए आगे बढे तथा फैसला सुनाने के लिए मामले को उसी दिन बाद के लिए रख लिया इसमे पहले कि वह फैसला सुनाते प्रतिवादी के अधिवक्ता ने आदेश वापस लेने के लिए उनके समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया। यह सही है कि अर्जुन सिंह {सुप्रा} मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के आधार पर विद्वान जिला न्यायाधीश, आदेश 9 व नियम 7 सिविल प्रक्रिया संहिता के आवेदन पर विचार नहीं कर सकते थे। हमें यह मत जाहिर करने में भी कोई झिझक नहीं है कि प्रतिवादी के अधिवक्ता उच्च न्यायलय के समक्ष अपनी व्यस्तता के बारे में विद्वान जिला न्यायाधीश के समक्ष पर्याप्त सावधान नहीं थे, जिससे मामले की सुनवाई के लिए बुलाये जाने पर उन्हें अपने न्यायालय में उपस्थित होने से रोका गया लेकिन एकपक्षीय डिक्री को पुष्ट किया जाना इस प्रकृति के मामले में बहुत कठोर निष्कर्ष होगा। प्रतिवादी को एकपक्षीय डिक्री का सामना करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। खासकर जब वह गलती पर नहीं था, उसने अपने अधिवक्ता को विद्वान जिला न्यायाधीश के समक्ष उपस्थित होने का विधिवत निर्देश दिया था।

16. हम हमारे सामने रखे गये विधिक प्रश्नों की तकनीकी बारिकियों में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हमारा विचार है कि इस मामले के तथ्यों में न्याय के हित की मांग है कि एकपक्षीय डिक्री को निरस्त कर दिया जाए।

हमारे विवेचन के अनुसार विद्वान जिला न्यायाधीश आदेश 9 नियम 7 सिविल प्रक्रिया संहिता अनुसार प्रस्तुत आवेदन पर विचार नहीं कर सके और यहां तक कि आदेश 9 नियम 13 के तहत प्रस्तुत आवेदन को भी जोर नहीं दिये जाने के कारण खारिज कर दिया, लेकिन किसी ने भी उच्च न्यायालय को इसके विरूद्ध अपील में एकपक्षीय डिक्री को निरस्त करने से नहीं रोका था।

17. प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता श्री के.के. वेणुगोपाल ने तर्क दिया कि यदि एकपक्षीय डिक्री को निरस्त कर दिया जाता है तो अपीलार्थी प्रतिवादी की मृत्यु का अनुचित लाभ उठा सकते हैं। वह जबाव में संशोधन की मांग कर सकते है और नये तर्क पेश कर सकते है। अधिवक्ता ने प्रतिवादी की पत्नी श्रीमती लाल देवी को भुगतनी पडी। डिक्री, जो 1999 के सिविल वाद नम्बर 259 दिनांक 6 अप्रैल, 2002 जिसके द्वारा स्थायी निषेधात्मक निषेधाज्ञा की डिक्री पारित की गई जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 को वर्णित संपत्ति बेचने से रोका गया। इसलिए उन्होंने तर्क दिया कि एकपक्षीय डिक्री को निरस्त करने से अपीलार्थीगण को अनुचित लाभ मिल सकता है और वे प्रत्यर्थीगण के उचित दावे को हराने के लिए सभी प्रकार के तर्क उठा सकते है। वे मुकदमे को विलम्बित करने के तरीके व साधन ढूंढ सकते हैं, जिसमें पहले ही काफी विलम्ब हो चुका है।

18. इसमें कोई संदेह नहीं है कि न्यायालय असहाय नहीं है। जब

पक्षकार अनुचित या देरी करने वाली रणनीति अपनाते है तो न्यायालय के पास ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए प्रचुर शक्तियां होती है। हम जिला न्यायाधीश के न्यायालय, जो मुकदमों की सुनवाई करेगा और पूरी तत्परता से आगे बढेगा, को निर्देश देते है कि जिस तारीख को पक्षकारान उसके समक्ष उपस्थित हो, उसके छः महीने के भीतर मुकदमे का निस्तारण किया जाए। वह जब तक स्थगन नहीं देगा जब तक कि अत्यंत आवश्यक न हो जाए। जहां तक संभव हो वह मुकदमे की प्रतिदिन सुनवाई करेगा।

19. परिणामस्वरूप यह अपील स्वीकार की जाती है और उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय और आदेश के साथ-साथ 7 जनवरी 1998 को विद्वान जिला न्यायाधीश के न्यायालय द्वारा पारित एकपक्षीय डिक्री को निरस्त किया जाता है। विचारण न्यायालय को निर्देश दिया जाता है कि वह मुकदमे को विधि अनुसार आगे बढाये, ताकि इस अदालत के आदेशानुसार पक्षकारान के उसके समक्ष उपस्थित होने के दिन से छः महीने की अवधि के भीतर इसका निस्तारण किया जा सके।

20. पक्षकारन को आगे के निर्देशों के लिए विद्वान जिला न्यायाधीश की अदालत में 11 जून, 2007 को उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है।

अपील स्वीकार

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी श्रीमती शिल्पा समीर (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।